

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग-2**  
**संख्या-82/2018/2540/दो-2-2018/28/2(1)/2017**  
**लखनउ: दिनांक: 06 जुलाई, 2018**  
**आदेश**

श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० ओम प्रकाश, पी०सी०एस० के भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी०ए०यू०-68957 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- स्व० ओम प्रकाश, पी०सी०एस० के जी०पी०एफ० खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-80/18-20996/430/26946 दिनांक 20-06-2018 के अनुसार वर्ष 2016-17 तक कुल जमा धनराशि रू०-29,20,205/- (रू०-उन्तीस लाख बीस हजार दो सौ पाँच मात्र) जिस पर माह 3/2017 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू०- 26,28,184.05/- अर्थात रू०-26,28,184/- (रू०-छब्बीस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ चौरासी मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए०जी००57/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए०जी००58/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी०पी०एफ० की धनराशि स्व० ओम प्रकाश, पी०सी०एस० के जी०पी०एफ० खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**धनन्जय शुक्ल**  
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया स्व० ओम प्रकाश, पी०सी०एस०, तत्कालीन अपर आयुक्त (न्यायिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, फैजाबाद।
- 4- श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० ओम प्रकाश, पी०सी०एस०, पता-खीरीधार, पोस्ट-मडवानगर, जिला-बस्ती, पिन-272002

**आज्ञा से,**

**(राजेश प्रताप सिंह)**  
**उप सचिव।**

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।